तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालयः–सिविल न्यायाधीश पुष्कर जिला, अजमेर। रामकंवरी बनाम नगरपालिका पुष्कर दीवानी वाद सं–34/2024	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16.07.2024

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। मूल वाद में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सरफुद्दीन ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। जवाब टी.आई. हेतु अवसर चाहा।

बहस अंतरिम टी.आई. सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी का कथन रहा कि प्रार्थना पत्र की चरण सं–1 में वर्णित संपत्ति उसकी खरीदशुदा संपत्ति है, जिस पर वह काबिज है। उक्त संपत्ति के स्वामित्व प्रमाण पत्र नगरपालिका पुष्कर द्वारा उसके पक्ष में जारी किया हुआ है। संपत्ति के पूर्व स्वामी ने नगरपालिका से उक्त संपत्ति पर निर्माण कार्य करवाने हेतु नक्शा स्वीकृत करवाया था, तत्पश्चात पूर्व स्वामी ने चारदीवारी बनायी थी। उसने चारदीवारी बनी हुई संपत्ति को क्रय किया था, उसके पश्चात किसी प्रकार का नव निर्माण नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब पेश होने तक अप्रार्थी को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र की चरण सं–1 में वर्णित जायदाद में किसी प्रकार दखलंदाजी ना करे, ना शांति पूर्वक कब्जे के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करे, ना ही किसी प्रकार की तोड़फोड़ कर प्रार्थी को बेदखल करे।

इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी ने धारा 194 का नोटिस देना स्वीकार किया है। वर्ष 1991 की निर्माण स्वीकृति के बाद प्रार्थी ने 2007 में संपत्ति खरीद की है, उसके पश्चात कोई निर्माण स्वीकृति नहीं ली। 2007 की स्वीकृति के अनुसार निर्माण किया गया हो, यह साबित नहीं है। धारा 304 ए नगरपालिका अधिनियम के तहत नोटिस नहीं दिया। प्रार्थिया के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। प्रार्थिया उसके विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अंतरिम निषेधाज्ञा का निवेदन खारिज किया जावे।

दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों के संबंध में संपूर्ण पत्रावली व संबंधित विधि का न्यायिक दृष्टिकोण से अवलोकन किया गया। प्रार्थिया ने विवादग्रस्त संपत्ति अपनी खरीदशुदा होकर उसने बहैसियत मालिक के रूप में काबिज होना बताया है तथा नगरपालिका द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कर आवास कार्य करना बताया है। इस बाबत प्रार्थिया ने संपत्ति क्रय किये जाने के पंजीकृत बैनामे की फोटोप्रति व नगरपालिका द्वारा जारी स्वामित्व के प्रमाण पत्र की फोटोप्रति व नगरपालिका द्वारा स्वीकृत नक्शे की फोटोप्रति भी पेश की हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया के कब्जे व स्वामित्व से इन्कार नहीं किया गया है। अप्रार्थी का मुख्य कथन है कि वर्ष 2007 के बाद व निर्माण स्वीकृति प्राप्त नहीं की है। जबकि प्रार्थिया का कथन है कि उसने 1991 की निर्माण स्वीकृति के अनुसार ही कार्य किया है। संपत्ति को खरीद किये जाने के बाद उसने कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। अप्रार्थी का यह भी कथन है कि वह धारा 194 के तहत कार्यवाही करने का अधिकारी है तथा उसे नगरपालिका अधिनियम की धारा 304 ए के तहत नोटिस नहीं दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा जो भी आपत्तियां उठायी गयी हैं, उनका निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थिया का अंतरिम टी.आई. का निवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। परिणामतः अप्रार्थी को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थना पत्र की चरण सं–1 में वर्णित संपत्ति से प्रार्थिया के संपत्ति के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करे व किसी प्रकार की तोडफड ना करे।

पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब टी.आई. दिनांक 17.08.2024 को पेश हो।